न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 09/2022

उनवान

1.कन्हैयालाल } पि0 झूंथाराम
2 गणेश नारायण }

3 गणपत } पि0 गोपीराम
4 सुरजमल }

समस्त जाति जाट निवासी कल्याणपुरा, मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 बिरदूराम पुत्र पन्नालाल यादव
3 कानाराम पुत्र भूरा गठाला
4 छीतरमल पुत्र भगवानसहाय गठाला
निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5. शंकर पुत्र ओमप्रकार गठाला
6. रामू पुत्र लच्छु गठाला
7 प्रभू पुत्र बालू गठाला
8 रामेश्वर पुत्र प्रभू गठाला
9 मदन पुत्र चौथू गठाला
निवासीगण मारखी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
10 कालू पुत्र नानू गठाला निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
11 अर्जुन पुत्र नानू गठाला निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
12 चन्दराम पुत्र किशनलाल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
13 महेश पुत्र बंशी गठाला
14 मुकेश पुत्र बंशी गठाला
निवासीगण कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 31-5-22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1250 रकबा 0.50 है0, 1254 रकबा 0.48 है0, 1255/1 रकबा 0.22 है0, 1338 रकबा 0.45 है0, 1339 रकबा 0.41 है0, 1340 रकबा 0.47 है0, 1341 रकबा 0.55 है0, 1342 रकबा 0.58 है0, कुल किता 8 रकबा 3.66 है0 वाके ग्राम मारखी ख0नं0 1249/3 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 752/2 रकबा 0.3850 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा , ख0नं0 1249/4 रकबा 0.10 है0, 1252 रकबा 0.02 है0, 1253/1 रकबा 0.46 है0, 1255/2 रकबा 0.14है0, 1256/1 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 752/3 रकबा 0.0975 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा , ख0नं0 1256/2 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 1249/2 रकबा 0.10 है0, 1253/2 रकबा 0.48 है0, 1256/3 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 0.75 है0, वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 1248 रकबा 0.27 है0, 1248/1685 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 772/1 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम मारखी ख0नं0 752/1 रकबा 0.0975 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2020/33, 34 दिनांक 21.10.20 व आदेश कमांक सीमा/2020/ 35 दिनांक 21.10.2020 की पालना में दिनांक 11.11.20 व 12.11.2020 को सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 11.11.20 व 12.11.20 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्राथीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिकमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्गीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । वकील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.11.20 व 12.11.20 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 11.11.20 व 12.11.20 को गिरदावर राडावा के द्वारा हल्का पटवारी नवलपुरा, हनुतियां देवन बी, नायन की टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 1250 रकबा 0.50 है0, 1254 रकबा 0.48 है0, 1255/1 रकबा 0.22 है0, 1338 रकबा 0.45 है0, 1339 रकबा 0.41 है0, 1340 रकबा 0.47 है0, 1341 रकबा 0.55 है0, 1342 रकबा 0.58 है0, कुल किता 8 रकबा 3.66 है0 वाके ग्राम मारखी ख0नं0 1249/3 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 752/2 रकबा 0.3850 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा , ख0नं0 1249/4 रकबा 0.10 है0, 1252 रकबा 0.02 है0, 1253/1 रकबा 0.46 है0, 1255/2 रकबा 0. 14है0, 1256/1 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 752/3 रकबा 0. 0975 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा , ख0नं0 1256/2 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 1249/2 रकबा 0.10 है0, 1253/2 रकबा 0.48 है0, 1256/3 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 0.75 है0, वाके ग्राम मारखी, ख0नं0 1248 रकबा 0.27 है0, 1248/1685 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 772/1 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम मारखी ख0नं0 752/1 रकबा 0.0975 है0 वाके ग्राम कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11.11.20 व 12.11.20 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.5.2021 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर